



कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

आवंटन पत्र

पत्रांक /ALT-1/ दिनांक

Property Code:-

प्रेषक

सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

श्री / श्रीमती / कु०.....
पुत्र / पत्नी / पुत्री.....
निवासी:-.....
.....
मो०नं०.....

विषय:- Sahyadri PKT A के सैक्टर.....में आवंटित भूखण्ड सं०.....श्रेणी.....क्षेत्रफल..... के आवंटन के सम्बन्ध में।

पंजीकरण संख्या

महोदय / महोदया

आपके द्वारा आवेदन के साथ पंजीकरण धनराशि रु०.....(शब्दों में रु०.....) प्राधिकरण कोष में जमा की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक..... को आयोजित लॉटरी ड्रॉ के आधार पर आपके पक्ष में उक्त सम्पत्ति को आवंटित किया जाता है। सम्पत्ति का अनुमानित क्षेत्रफल.....व०मी० है तथा अनुमानित मूल्य रु०..... (शब्दों में रु०.....) है।

अतएव उक्त सम्पत्ति की अवशेष धनराशि निम्न विवरण के अनुसार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में ऑनलाइन अथवा ई-चालान के माध्यम से निम्न प्रकार जमा करनी होगी :-

| क्रमांक | विवरण | धनराशि | देय तिथि |
|---------|--|----------|----------|
| 1. | सम्पत्ति का मूल्य | रु०..... | |
| | जमा पंजीकरण धनराशि व दिनांक | रु०..... | |
| | आवंटन धनराशि व दिनांक | रु०..... | |
| 2. | अवशेष धनराशि (कुल मूल्य – पंजीकरण धनराशि – आवंटन धनराशि) | रु०..... | |
| | किस्तों के आधार पर अवशेष धनराशि रु०..... को 08 त्रैमासिक किस्तों में (MCLR+1 ब्याज सहित) | रु०..... | |

किस्तों का विवरण

| किस्त सं० | किस्त की तिथि | किस्त की धनराशि रु० | किस्त में मूलधन रु० | किस्त में ब्याज रु० |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |

नियम एवं शर्तें :-

1. निर्धारित समय पर किस्त का भुगतान न किये जाने पर (MCLR+3) प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
2. भूखण्ड के मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्ज आवंटी द्वारा निबन्धन से पूर्व देय होगा।
3. कॉर्नर के भूखण्डों पर 05 प्रतिशत, 05 प्रतिशत पार्क फेसिंग चार्ज एवं 05 प्रतिशत 18 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क होने पर अतिरिक्त चार्ज देय होगा। यदि किसी सम्पत्ति में तीनों गुण हो तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12 प्रतिशत अधिक होगा।
4. लगातार तीन किश्तें जमा न करने पर डिफाल्टर माना जायेगा तथा सम्पत्ति को निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवंटी की होगी।
5. यदि अर्जन मूल्य/निर्माण की लागत में वृद्धि होती है, तो बढ़ें हुए मूल्य की धनराशि समानुपातिक आधार पर आवंटियों द्वारा देय होगी।
6. आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 01 माह के अन्दर आवंटन धनराशि तथा अवशेष सम्पूर्ण धनराशि एक साथ जमा करने पर नियमानुसार देय छूट अनुमन्य होगी।
7. सम्पत्ति का मूल्य रू0 50 लाख से अधिक होने पर आवंटी द्वारा भूखण्ड के मूल्य से 01 प्रतिशत टी.डी.एस. की धनराशि प्राधिकरण के पैन कार्ड सं0 **AAJFM7731M** में जमा करनी होगी।
8. आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही लोन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जायेगा।

नोट :- अन्य नियम एवं शर्तें विवरण पुस्तका में प्रदर्शित की गयी हैं, जो यथावत रहेंगी।

प्रभारी सम्पत्ति,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।